मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक/691/261/एक(3) भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—शासकीय सेवक के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाही—न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों पर विभागीय जांच करने के संबंध में.

संदर्भ:— इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 3/सी.आर.654/एक(3), तारीख 2 जनवरी, 1967.

उपर्युक्त ज्ञापन में यह अनुदेश प्रसारित किया गया था कि यदि किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध उन्हीं आरोपों पर विभागीय जांच करने में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं हैं।

2. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा किये गये निर्णयों के प्रकाश में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर (on merits) दोषमुक्ति किया जाता है तो फिर उसके विरुद्ध उन्हीं आरोपों अथवा तथ्यों के आधार पर विभागीय जांच नहीं हो सकती। किन्तु यदि शासकीय सेवक की दोषमुक्त केवल तकनीकी आधार पर 'संदेह के लाभ' (benefit of doubt) के कारण हो, तो ऐसे प्रकरणों में उस शासकीय सेवक के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों पर विभागीय जांच करना अवैधानिक नहीं होगा। ऐसी विभागीय जांच में केवल यह प्रतिबंध रहेगा कि न्यायालय द्वारा जिन तथ्यों को अथवा तथ्यों से निकलने वाले निष्कर्षो को अन्तिम रुप से प्रमाणित (conclusively proved) माना गया हो उनकी सत्यता प्रमाणित मानी जायेगी (shall be presumed to be proved - ---) और उन पर किसी प्रकार का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा.

3. अत: इस विभाग के सर्दभांकित ज्ञापन में निहित अनुदेश का ऊपर स्पष्ट किये अनुसार संशोधित रुप में अनुसरण करना चाहिए.

4. कृपया अपने अधीनस्थ, विभागीय जांच के प्रकरणों को निपटाने वाले, सभी शासकीय प्राधिकारियों को उपर्युक्त स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-

(हनुमन्त राव)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक/692/सी.आर./261/एक/(3)

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 1971

प्रतिलिपि:—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.

---

2. राज्यपाल के सचिव,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

3. स्थापना अधिकारी/लेखा अधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

---

4. मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/ उपमंत्रियों एवं संसद सचिव के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./

(के.एल. मुकर्जी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.